जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/44 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 9 नवम्बर 2020

भाग-2

आखिर क्या है इस हरे पर्दे के पीछे का सच???

नगर निगम,टोंक रोड के सामने शहर के अति-व्यस्त तिराहे पर हरे तिरपाल की आड़ में भूखंड संख्या SB-107 बापूनगर के सम्पूर्ण सेटबैक की जमीन पर हो रहा है यह अवैध निर्माण!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब मांगते सवाल??

1. आखिर भूखंड संख्या SB-107 बापू नगर,टोंक रोड के आज तक कितने हिस्से/टुकड़े/भाग/उपविभाजन हुए है?
2. आखिर कौन है भूखंड संख्या SB-107 बापू नगर,टोंक रोड के इस विवादित पूर्ण सेट बैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन के टुकड़े का असली मालिक?क्या है उसके राजनैतिक रसूखात?
3. क्या भूखंड धारक द्वारा नियमानुसार भूखंड संख्या SB-107 के पूर्ण सेट बैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन का उप-विभाजन करवा कर निगम से पट्टा प्राप्त कर लिया गया है??कहीं 83.6 वर्ग मीटर जमीन भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक का हिस्सा तो नहीं है?
4. आखिर क्यों भूखंड संख्या SB-107 के विभाजित/अविभाजित हिस्से में निर्मित भवन (भूखंड संख्या SB-107 B) में स्थित पेरामाउंट कोचिंग द्वारा नियमानुसार सेटबैक छोड़ा गया है ,जबकि छोड़ा गया सेटबैक लगभग इसी माप का है,जिस माप के भूखंड पर अभी अवैध निर्माण किया जा रहा है|अतः यह स्पष्ट है कि यह 83.6 वर्ग मीटर जमीन भूखंड संख्या SB-107 (सम्पूर्ण) का कॉर्नर सेटबैक है|
5. भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन रिकॉर्ड के अनुसार आवासीय है या व्यवसायिक?
6. आखिर कब हुआ भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर आवासीय जमीन का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन?
7. आखिर किस भ्रष्ट अधिकारी ने किया भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर आवासीय जमीन का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन?
8. आखिर किस भ्रष्ट अधिकारी ने भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन के व्यवसायिक निर्माण हेतु नक़्शे पास किये?
9. आखिर कौन है निगम के वह भ्रष्ट अधिकारी,जो सेटबैक की जमीन मे चल रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कर,इस अवैध निर्माण को शह दे रहे है?
10. आखिर नियमानुसार कितनी ऊँचाई तक हो सकता है इस भूमि पर निर्माण?
11. यदि भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ गाँठ कर भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन को व्यवसायिक करवा भी लिया हो तो भी क्या भवन विनियमों के अनुसार भवन निर्माण में सेटबैक छोड़ना अनिवार्य नहीं है?
12. यदि लाख विरोध के बावजूद,भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक में स्थित 83.6 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स खड़ा हो गया तो इस व्यस्त तिराहे पर कहाँ होगी आगंतुकों की पार्किंग??कौन होगा अवैध पार्किंग का जिम्मेदार?
13. क्या सड़क भ्रष्ट अधिकारियों और लालची व्यापारियों के बाप की है जहाँ पर खरीददारी करने वाला पार्किंग करके चला जाए और आमजन परेशान होता रहे?